



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 743]
No. 743]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2005/आषाढ़ 24, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2005/ASADHA 24, 1927

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुम्बई, 4 जुलाई, 2005

का.आ. 1014(अ).—परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परमाणु ऊर्जा (खान के कार्य, खनिज और निर्धारित पदार्थों का हस्तान्तरण) नियमावली, 1984 के नियम 13 के अनुपालन में केंद्रीय सरकार एतद्वारा उपरोक्त नियमावली के नियम 13 के तहत केंद्र सरकार को फ़ाइल की गई अपीलों के निपटान के लिए सचिव भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग को प्राधिकृत करती है। ये आदेश 14 सितम्बर, 2004 से प्रभावी होंगे।

[फ़. सं. एईए/27/1/2005-ईआर/1827]

के. पद्मानाभन, अवर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
NOTIFICATION

Mumbai, the 4th July, 2005

S.O. 1014(E).—In exercise of the powers conferred on it by Section 27 of the Atomic Energy Act, 1962 and in pursuance of Rule 13 of the Atomic Energy (Working of Mines, Minerals and Handling of Prescribed Substances) Rules, 1984, the Central Government hereby authorise the Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy to exercise the powers of the Central Government to dispose of the appeals filed under Rule 13 of the said Rules. These Orders shall be effective from 14th September, 2004.

[F.No. AEA/27/1/2005-ER/1827]

K. PADMANABHAN, Under Secy.